

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, ~~बाजरांगला~~  
(पीवासीन अधिकारी, प्रशासन गांवों के संग अभियान, 2021 कैम्प कोर्ट)

PKS कैम्प तिलरिया/2022/26 तिथि 08/06/2022  
दि. 08/06/2022  
-:आदेश:-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी ~~कुम्हारियावास~~ व नूज.मि.  
ति.रि.मि. की रिपोर्ट तथा तहसीलदार ~~चाकपुर~~ की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व  
अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम ~~श्री सवाई जयसिंहपुर~~ तहसील ~~चाकपुर~~ जिला ~~बाजरांगला~~  
की जमाबन्दी सम्वत् ~~2073-74~~ में खाता संख्या ~~165~~ में पटवारी में दर्ज प्रविष्टि  
निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	अमल (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1.	श्री सवाई जयसिंहपुर के बाजरांगला	165	उदीप पुत्र गंगाराम पहलाद पुत्र गंगाराम	उदीप पुत्र गंगाराम पहलाद पुत्र गंगाराम

(36)  
शिविर प्रभारी  
उपखण्ड अधिकारी  
पदेन सहायक कलक्टर (जयपुर)

क्रमांक :- PKS कैम्प तिलरिया/2022/27-28 दिनांक :- 08/06/2022  
प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार, ~~चाकपुर~~ को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।
2. प्रार्थी श्री ~~उदीप पुत्र गंगाराम~~ को सूचितार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

(36)  
शिविर प्रभारी  
उपखण्ड अधिकारी  
पदेन सहायक कलक्टर (जयपुर)